अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

सं. 75/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 635(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक प्रत्येक मास के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के अधीन **प्ररुप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

[फा. सं. सी बी ई सी-20/06/09/2019-जी एस टी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

No. 75/2020 – Central Tax

G.S.R. 635(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with, section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time-limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from October, 2020 to March, 2021 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time-limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

सं. 76/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 636(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करता है कि अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ

राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है, अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बाईसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह और कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, उत्तराखंड राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, सिक्किम राज्य, अरूणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य, मिजोरम राज्य, त्रिपुरा राज्य, मेघालय राज्य, असम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है, अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के चौबीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

2. **प्ररूप जीसएटीआर-3ख के अनुसार, कर दायित्व से उन्मोचन के लिए कर संदाय** –उक्त नियमों के **प्ररूप जीसएटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अध्यधीन, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्य संदेय रकम का,यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाते में विकलन द्वारा, जिस तारीख पर उससे उक्त विवरणी देना अपेक्षित है, प्रथम पैरा में यथा-विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के पश्चात् नहीं, अपने दायित्व का उन्मोचन करेगा ।

[फा. सं. सी बी ई सी-20/06/09/2019-जी एस टी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

No. 76/2020 – Central Tax

G.S.R. 636(E).— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month:

Provided that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-second day of the month succeeding such month:

Provided further that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-fourth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B**. – Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be and his liability towards interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director